न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय केम्प ऐट भोपाल म0प्र0।

निगरानी कमांक ...../2019

निगरानी-0447/2019/भोपाल/भू.रा.

1:— श्रीमती गुन्नीबाई स्वर्गीय श्री गोकलप्रसाद
2:— रामचरण आत्मज स्वर्गीय श्री गोकलप्रसाद
3:— रामबाबू आत्मज स्वर्गीय श्री गोकलप्रसाद
4:— गोलू आत्मज स्वर्गीय श्री गोकलप्रसाद सर्व आयु वयस्क सर्व निवासी वार्ड कमांक 4 बसई बैरसिया जिला भोपाल म0प्र0 ....निगरानीकर्तागण

विरूद्व

म0प्र0 शासन द्वारा
जिलाध्यक्ष महोदय भोपाल ....प्रतिनिगरानीकर्ता

अभिभावक श्री बी. के. श्रीवास द्वारा आज दिनांक 6/3/19 को पेश।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 दण्ड प्रकियॉ संहिता

श्रीमानजी,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नानुसार निवेदन है:—

निगरानीकर्तागण/अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष पुनरीक्षण याचिका श्रीमती मुन्नीबाई आदि विरूद्व म0प्र0 शासन के विरूद्व आदेश दिनांक 28/1/2019 को पारित आदेश से दुखी व असंतुष्ठ होकर ठोस तथ्यो व आधारो पर उक्त वर्तमान निगरानी उपस्थापित की जाती है जिसमें निगरानीकर्तागण को सफल होने की पूर्ण आशा व विश्वास है जो निम्नानुसार है :—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1:— यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की —

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-447/19/ भोपाल/ Rev

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-4-19	आवेदक अधिवक्ता श्री बी0के0श्रीवास उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त न्यायालय के द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50(2)(ख) के अन्तर्गत द्वितीय अपील में पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय को प्रकरण के सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से यह निगरानी सुनवाई हेतु अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	